

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

देव नारायण पाण्डेय,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

/पटना, दिनांक- 18.05.23

विषय:- बादशाही नाला को नगर विकास एवं आवास विभाग, को हस्तांतरित करने संबंधी जल संसाधन विभाग की संचिका सं०-21/भूमि-04-05/2018 के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-123, दिनांक-07.02.2023 एवं स्मार पत्रांक-596 दिनांक-26.04.2023
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया संदर्भ लिया जाय। मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि बादशाही नाला को नगर विकास एवं आवास विभाग, को हस्तांतरित करने संबंधी जल संसाधन विभाग की संचिका सं०-21/भूमि-04-05/2018 दिनांक-18.04.2022 को ही मुख्य सचिव कोषांग द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, को पृष्ठांकित कर दी गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है। उक्त संदर्भ में अग्रेतर जानकारी नगर विकास एवं आवास विभाग से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

ज्ञातव्य हो कि विभागीय पत्रांक-370, दिनांक-15.05.2018 द्वारा बादशाही नाला का पटना नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले हिस्से को नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के बावजूद भी प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण संबंधी स्वीकृत्यादेश विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। स्वीकृत्यादेश प्राप्त करने हेतु विभागीय पत्रांक-787, दिनांक-18.11.2022, स्मार पत्रांक-861, दिनांक-16.12.2022, पत्रांक-22, दिनांक-09.01.2023 एवं अंतिम स्मार पत्रांक-94, दिनांक-25.01.2023 द्वारा भी अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है कि बादशाही नाला को नगर विकास एवं आवास विभाग, को हस्तांतरित करने संबंधी जल संसाधन विभाग की संचिका सं०-21/भूमि-04-05/2018 के द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करते हुए संचिका मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से विभाग को वापस करने की कृपा की जाय।

“कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।”

विश्वासभाजन

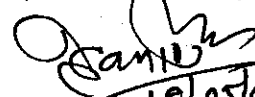

18/05/2023

(देव नारायण पाण्डेय)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक:- 674 पटना/दिनांक:- 18.05.23

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजने एवं बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


18/05/2023
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)